उंसतीलाल बनाम शंकरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० बहस पार्थना-पत्र सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया है कि मूल वाद दिनांक 18.10.12 नियत था। उक्त तिथि को वादी के अधिवक्ता का स्वास्थ्य अचानक खराब होने से न्यायलय में सुनवाई के वक्त हाजीर नहीं हो सके तथा वादी को भी अभिभाषक द्वारा प्रत्येक पैरवी पर उपस्थित नहीं होने की हिदायत दिये जाने से वादी भी नियत तिथि को उप० नहीं होने से न्यायालय द्वारा वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त वाद में वादी के हित निहित है न्यायहित में बाजदारी स्वीकार की जाकर मूल वाद नम्बर पर लिया जाकर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करने का श्रम करावें।	

बाजदारी पार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी 1,2 व 6,7 की ओर से अधिवक्ता हाजीर हुये तथा शेष प्रतिवादीगण के नोटिस अदम तामील प्राप्त होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी 1,2 व 6,7 के अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश नहीं करने पर दिनांक 21.5.25 को जबाब बन्द किया गया।

हमने उभय पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं मूल वाद पत्र का अवलोकन किया तथा विधि द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधानों का विवेचन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी के अधिवक्ता मूल वाद में नियमित रूप से पैरवी की है, तथा मूल वाद प्रतिवादी 6,7 के जबाव में नियत था। वाद पत्र खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें वादी के अनुसार हित निहित है तथा वाद का साक्ष्य सबूतो के आधार पर गुणावगुण निर्णय होना शेष है। वादी ने वाद दिनांक 18-10-12 को अदम हाजरी में खारिज होने बाद दिनांक 12.11.12 को बाजदारी प्रार्थना-पत्र पेश कर सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रार्थना-पत्र पेश कर दिया है, जिसका जबाव प्रतिवादीगण द्वारा पेश नही किया है। जिससे वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत बाजदारी प्रार्थना-पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह बाजदारी प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर मूल वाद के साथ नथी किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 6/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] [illegible] कलक्टर [illegible] अजमेर	